उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या-1043/78-1-2020-25/2012
लखनऊ: दिनांक: 13 अगस्त 2020

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-813/78-1-2020-25/2012 दिनांक 15 जुलाई 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 अधिसूचित की गई है। उ0प्र0 स्टार्ट-अप नीति-2020, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पांच (5) वर्षों के लिए वैध है तथा समस्त उद्योग क्षेत्रों के स्टार्ट-अप्स के लिए प्रभावी होगी।

2- उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के बिन्दु 6.4 में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में मार्गदर्शक समिति (स्टीयरिंग कमेटी) के गठन की व्यवस्था है।

3- उक्त नीति में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 से सम्बन्धित मार्गदर्शक समिति (स्टीयरिंग कमेटी) का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

1	मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष
2	माननीय मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
3	माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवँ निर्यात प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
4	माननीय मंत्री, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
5	माननीय मंत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
6	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
7	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उत्तर	सदस्य

	प्रदेश।	
13	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
14	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
15	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
16	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
17	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
18	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं नगरीय विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य

3- मार्गदर्शक समिति का चार्टर, उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 की यथापरिभाषित परिकल्पना, मिशन एवं लक्ष्यों के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने, इन्क्यूबेटर्स और स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं वितरण, राज्य में इन्क्यूबेटर्स को मान्यता एवं स्थापना, राज्यों की स्टार्ट-अप फ्रेमवर्क रैंकिंग सहित, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं, अपितु नीतिगत परिणामों की उपलब्धियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा से सम्बन्धित है।

4- उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु नामित कार्यदायी/नोडल संस्था यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा समिति के उपरोक्त कार्यकलापों हेतु आवश्यक कार्यवाही/समन्वय सुनिश्चित किया जायेगा।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1043(1)78-1-2020 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- समिति के समस्त सदस्यगण।

2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।

4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वह प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6- प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयक्त सचिव।